राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.1(8)(06193)लोसूअ/सान्याअवि/2025/ 814 **जयपुर, दिनांक :–** 22/05/2025

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण किये जाने के संबंध में निदेशालय स्तर पर पूर्व में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(8)लोसूअ/सान्याअवि/19/1449 दिनांक 23.07.2019, 2313 दिनांक 16.10.2019 एवं 2371 दिनांक 05.04.2024 के द्वारा घोषित किये गये लोक सूचना अधिकारियों के उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए तथा विभाग में पुर्नगठित किये गये नवीन पदों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय कार्य विभाजन के अनुसार निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास में पदस्थापित समस्त शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग के लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है :–

क्र.स.	लोक सूचना अधिकारी	योजना/कार्य/अनुभाग
1.	वित्तीय सलाहकार	लेखा एवं बजट अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य।
2.	उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)	संस्थापन पी–1,2,3,4,5, पेंशन, डीपीसी, एसीआर, जांच, स्टोर, कैशियर, पुस्तकालय, रिकोर्ड, वाहन पूल/केयर टेकर, सामान्य, लेखा भुगतान, अभाव–अभियोग, संविदा, संपर्क पोर्टल परिवाद एवं विधानसभा अनुभाग (विधानसभा प्रशाखा प्रभारी के अनुमोदन उपरान्त)।
3.	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (आई.टी.)	कम्प्युटर अनुभाग, विभागीय योजनाओं के पोर्टल से संबंधित एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य।
4.	संयुक्त निदेशक (अत्याचार निवारण)	अत्याचार निवारण एवं अन्तर्जातीय विवाह योजना अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
5.	संयुक्त निदेशक (देवनारायण योजना)	देवनारायण योजना, देवनारायण बोर्ड एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
6.	उप निदेशक (पिछडी जाति)	पिछड़ी जाति अनुभाग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड/आयोगों से संबंधित सूचना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
7.	उप निदेशक (छात्रावास)	छात्रावास एवं डी.बी.टी. बाउचर योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
8.	उप निदेशक (छात्रवृति)	छात्रवृति एवं अनुप्रति योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
9.	उप निदेशक (पालनहार)	पालनहार योजना/कोरोना सहायता योजना/ मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
10	उप निदेशक (योजना)	योजना अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य।
11	उप निदेशक (राईस)	राईस अनुभाग (आवासीय विद्यालय) एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
12	उप निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	सामाजिक सुरक्षा पेंशन अनुभाग योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.05.22 18:21:46 IST
Reason: Approved

1

RajKaj Ref No.: 15485660

13	उप निदेशक (एस.सी.एस.पी./मॉनिटरिंग)	एस.सी.एस.पी./मॉनिटरिंग अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
14	उप विधि परामर्शी	विधि अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य।
15	उप निदेशक/सहायक निदेशक (प्रचार–प्रसार)	जनसम्पर्क अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य।
16	सहायक निदेशक (महिला कल्याण)	महिला कल्याण एवं ट्रांसजेण्डर कल्याण योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
17	सहायक निदेशक (वृद्व कल्याण)	वृद्व कल्याण योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
18	सहायक निदेशक (नवजीवन–नशामुक्ति)	नवजीवन–नशामुक्ति योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।
19	सहायक निदेशक (भिक्षावृति)	भिक्षावृति योजना एवं अनुभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/योजना।

निदेशालय उक्त लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे संदर्भित अधिनियम की धारा 5(2) के परन्तुक एवं धारा 7(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में किसी व्यक्ति द्वारा धारा 2 (आई) में उल्लेखित राजकीय प्रलेखों की प्रतिलिपि धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर सूचना नियमानुसार निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में एक रजिस्टर का वर्षवार संधारण करेंगे, जिसमें वांछित कॉलम बनाकर लोक सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लेखा–जोखा रखेंगे। साथ ही आवेदक से प्राप्त राशि/शुल्क निदेशालय के कैशियर को जमा करवाकर आवेदक को सीधे ही सूचना उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता करेंगे।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों की सूचना निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में सूचना प्रदान नहीं करने अथवा कार्यवाही नहीं किये जाने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत लगने वाली शास्ति/कार्यवाही के लिए संबंधित लोक सूचना अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :–एफ.1(8)(06193)लोसूअ/सान्याअवि/2025/ 815-841 **जयपुर, दिनांक :–** 22/05/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड ओ.टी.एस. चौराहा, जयपुर।
3. शासन उप सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, अति0 निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
7. लोक सूचना अधिकारी निदेशाल, सान्याअवि, मुख्यावास ....(समस्त)।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), सान्याअवि मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश के क्रम में संबंधित लोक सूचना अधिकारी की आई.डी. मैपिंग करवाना एवं उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।
9. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by B[illegible]anesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.05.2[illegible] [illegible]8:21:46 IST
Reason: Approved

2

RajKaj Ref No.: 15485660